

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

असम के उपभोक्ताओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा वर्चुअल (ऑनलाइन) उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के माध्यम से असम के दूरसंचार और प्रसारण उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 28 सितम्बर, 2020 (सोमवार) को ऑनलाइन माध्यम से उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया।

2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ता पहुंच कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन बैठक मंच के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन करने का निर्णय लिया गया था, जहां उपभोक्ता अपने घर, दुकान, या कार्यालय में बैठे कर इसमें सम्मिलित हो सकते थे।

3. उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, एमएसओ/ डीटीएच सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों और शासकीय अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलूओं जैसे प्रशुल्क, मूल्यवर्धित सेवाएं (1,एएस), डाटा सेवाएं, अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी), मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण तंत्र आदि के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल एप्स जैसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माई-स्पीड ऐप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण माय-कॉल ऐप और ओनो 2.0 ऐप के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। उपभोक्ताओं को इस बारे में भी शिक्षित किया गया कि उपभोक्ता इन एप्स और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विश्लेषणात्मक पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न धोखाधड़ियों के बारे में भी बताया गया अर्थात् टॉकर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी, आईएसओ नम्बर से मिस्ड कॉल आदि और यह भी जानकारी प्रदान की गई कि उन्हें कैसे इन धोखाधड़ियों से सावधान रहना चाहिए।

5. उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं के लाभ के लिए चैनल चयन ऐप के बारे में भी सूचित किया गया था ताकि उपभोक्ता अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में भी अवगत हो सकें, चैनल जोड़/ हटा सकें और अपनी पसंद का अनुकूलन कर सकें। इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एक वीडियो (यू ट्यूब पर भी उपलब्ध है) उपभोक्ताओं को उनके लाभ के लिए दिखाया गया।

6. 'इंटरैक्टिव' सत्र के दौरान, प्रतिभागियों के अनेक प्रश्नों का उत्तर श्री सौविक के⁰ आरो दास, सलाहकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और उनके दल द्वारा दिया गया। टीएसपी के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं का भी उत्तर दिया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के सलाहकार ने टीएसपी के प्रतिनिधियों से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र में इंटरनेट की कवरेज और इंटरनेट की गति में सुधार करने का अनुरोध किया, जहां लोग घर से काम करने के लिए मजबूर हैं और चल रही महामारी के कारण छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने एमएसओ और डीटीएच सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों से ग्रामीण/ उपनगरीय क्षेत्र में टेलीविजन कनेक्शनों के अपटाइम में सुधार करने का भी अनुरोध किया क्योंकि चल रही महामारी के कारण लोग अधिकतर घर के अंदर रहते हैं।

7. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री संजीव बैजल, सलाहकार (सीए एंड आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, से दूरभाष नम्बर 011-23210990 अथवा ई-मेल आईडी : advisorit@ trai.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(एस० के० गुप्ता)
सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।